रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I — खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 182] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 1979/भाद्र 13, 1901
No. 182] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 1979/ BHADRA 13, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1979

सार्वजनिक सूचना सं. 59-ईटीसी(पीएन)/79

मिसिल सं. 19/5/79-ई1.—निर्यात नीति (पुस्तिका), 1979-80 की पृष्ठ 1 की कण्डिका 5 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2 उक्त पैरा को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

"निर्यात विश्व के किसी भी स्थान को किया जा सकता है । लाइसेंस जारी करने के मामले में एक देश और दूसरे देश में अन्तर नहीं किया जाता । इसका अर्थ यह है कि विदेशी क्रेता चाहे वे किसी

भी देश का हो, नियंत्रित पण्यवस्तुओं की अपनी आवश्यकताओं को निर्यात लाइसेन्स रखने वाले व्यक्तियों से या लाइसेन्स के हकदार व्यक्तियों से पूरी कर सकते हैं । इस सामान्य नियम में यही अपवाद है कि दक्षिणी अफ्रीका संघ, दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका और रोडेशिया से निर्यात नहीं किया जा सकता क्योंकि इन देशों से व्यापार पूर्णतया निषेध है । (इसलिए इन देशों को निर्यात करने की अनुमति नहीं है, लेकिन भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच सीमान्त व्यापार (अर्थात् सरहद व्यापार) के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी)" ।

सी वेंकटरमन, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात ।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO 59-ETC(PN)/79

New Delhi, the 4th September, 79

F No 19/5/79-E-I—Attention is invited to Paragraph 5 appearing on page 1 of the Export Policy (Book), 1979 80

2 The said para shall be substituted as under —

"Exports can be made to any destination in the world No discrimination is made, between one country and another, in the matter of issue of licences This means that foreign buyers are free irrespective of the country to which they belong, to procure their requirements of controlled commodities from persons holding export licences or eligible to receive licences To this general rule, the *only exceptions are the Union of South Africa, South-West Africa* and Rhodesia, because of a complete ban on trade with these countries (No export is, therefore, permitted to these countries Border trade (i e, frontier trade) between India and Tibet region of China shall not, however, be allowed"

C VENKATARAMAN,

Chief Controller of Imports & Exports.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979